कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः 284 / FP/UK/ROAD/28915/2017. देहरादून दिनॉक 10 अगस्त, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः–जनपद बागेश्वर में कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 57 से बड़ी पन्याली मोटर मार्ग हेतु 3.42 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/114/2018/ एफ0सी0/285 दिनांक 09.06.2020।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/114/2018/ एफ0सी0/285 दिनांक 09.06.2020, के द्वार विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है।

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी– प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–**	
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.84 है0 अवनत वन भूमि कफलटौक कक्ष सं0–12 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे।		क) वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि अवनत वन भूमि कफलटौक कक्ष सं0–12 है0 प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा
ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।		वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र कफलटौक कक्ष सं0–12 है0 अवनत भूमि में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नकः–01)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेत उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुयें यथासंशोधित) रू0 23,06,339.00 (तेईस लाख छः हजार तीन सौ उनचालीस) जमा कर दिये गये है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नकः–02)**

शुद्ध वर्तमान मूल्यः–

(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.20035 एवं 2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **3.42** है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।		वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003 एवं 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 22,46,940.00 (बाईस लाख छियालीस हजार नौ सौ चालीस) **3.42** है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान दर से एन0पी0वी0 ऑनलाईन जमा कर दी गयी है।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।		वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि (ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्न–3)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नही काटे जायेंगे।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान किसी भी पेड को नहीं काटा गया है **(संलग्न–4)**
7	State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2.The State Govt. will strictly monitor and ensure tha no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत हैं (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।)
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फड में स्थानांतरित/जमा किया गया है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्न–5)**
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों का संख्या बढाएगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढाने हेतु प्रयोक्ता अभिरण सहमत है। **(संलग्न–6)**
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

12	रीडव्ल्यूएलडव्ल्यू/एनबीडव्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा,	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि रीडव्ल्यूएलडव्ल्यू/एनबीडव्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के कम मे प्रस्ताव में प्रारूप सं0–54 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने जाएगें,	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जाएगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अविधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अविधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित मे समय–समय पर

		निर्धारित शर्तें लागू होगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेका जाएगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेका जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वन सरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में उप वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

1.वन संरक्षक,उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा का पत्र संख्या–249 दिनांक–27.07.2023।
2.क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि की चालान की प्रति।
3.ए0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।
4.वृक्षो का पातन न किये जाने का प्रमाण पत्र।
5.एफआरए 2006 ,के पूर्ण अनुपालन का जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र।
6.वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण पत्र।
7.मलवा निस्तारण किये जाने का प्रमाण पत्र।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून

संख्या : 284 / FP/UK/ ROAD /28915/2015 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1.वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा को।
2.प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर,।
3.अधिशासी अभियन्ता, प्रातीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून